

पत्रांक-10/स्था0 व्यय आ0-23/2025

77/आस्ता0,

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह।

राँची, दिनांक- 06-11-2025

विषय:- स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-01-राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु वेतन इकाई में कुल ₹5,91,50,000/- (रूपये पाँच करोड़ एकानवे लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-2616/रा0, दिनांक-18.10.2025 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में वेतन इकाई में कुल ₹5,91,50,000/- (रूपये पाँच करोड़ एकानवे लाख पचास हजार) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ कोड GRDDAD 026 में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरुद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

lpr

कृ०पृ०उ०

8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
10. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।
11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shree
09/11/25

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/स्था0 व्यय आ0-23/2025-26 77/310 राँची, दिनांक-06-11-2025
प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर समाहर्ता एवं जिला कोषागार
पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree
09/11/25

सरकार के सचिव।

Shree